न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 04 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रामसिंह 2 खेतसिंह 3 किस्तुरसिंह पिसरान अर्जुनसिंह जाति वजीर (रावणा राजपूत) निवासी धुड़ाणियों की ढाणी, बाड़मेर ग्रामीण तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।		1 तहसीलदार बाड़मेर 2 गडुकाराम पुत्र रावताराम जाति रबारी निवासी तारातरा तहसील चौहटन हाल लंगेरा 3 सुजानाराम 4 गोपाराम पिसरान देरामाराम जाति रबारी निवासी जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1 श्री दानसिंह राठौड़, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 12/01/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर गादान पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2271 रकबा 111.06 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता अर्जुनसिंह व उनके भाईयों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा अर्जुनसिंह के फौत होने पर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। प्रार्थीगण का वास्तविक नाम रामसिंह, खेतसिंह व किस्तुरसिंह है परन्तु राजस्व रेकर्ड में रामा, खेत, कस्तुरा अंकित कर दिया है जो अशुद्ध नाम है। प्रार्थीगण के सहखातेदार शंकरा व बसंता पुत्र गोपा ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 02 से 04 को कर दिया जो जाति से रबारी है जिस बेचान दस्तावेजों के आधार पर नामान्तकरण संख्या 166 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के साथ प्रार्थीगण की जाति वजीर के स्थान पर भूलवंश रेबारी अंकित कर दिया लेकिन प्रार्थीगण जाति से वजीर (रावणा राजपूत) है, जिसे दुरूस्त करवाने का निवेदन किया। लिहाजा मौजा बाडमेर गादान पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2271 रकबा 111.06 बीघा भूमि प्रार्थीगण रामा, खेता, किस्तुरा पिसरान अर्जुन के स्थान पर रामसिंह, खेतसिंह व किस्तुरसिंह पिसरान अर्जुनसिंह के नाम की दुरूस्ती व जाति रबारी के स्थान पर वजीर (रावणा राजपूत) दुरूस्ती कर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है। अप्रार्थीगण ईकरतरफा। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अतः अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत 2072—2075, जमाबन्दी संवत् 2060—2063, नामान्तकरण संख्या 166 दिनांक 08.09.199,9 आधार कार्ड एवं राशन कार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन के मद्देनजर मौजा

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

बाडमेर गादान पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2271 रकबा 111.06 बीघा भूमि में रामा, खेता, किरतुरा पिसरान अर्जन के स्थान पर रामसिंह, खेतसिंह व किस्तुरसिंह पिसरान अर्जुनसिंह के नाम की दुरूस्ती व जाति रबारी के स्थान पर वजीर (रावणा राजपूत) अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2271 रकबा 111.06 बीघा भूमि में रामा, खेता, किरतुरा पिसरान अर्जन कौम रबारी के स्थान पर रामसिंह, खेतसिंह व किस्तुरसिंह पिसरान अर्जुनसिंह कौम रावणा राजपूत शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 12/01/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर